रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21042022-235285
CG-DL-E-21042022-235285

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 292] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 21, 2022/वैशाख 1, 1944
No. 292] NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 21, 2022/VAISAKHA 1, 1944

विद्युत मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 अप्रैल, 2022

सा.का.नि. 306(अ).—केन्द्रीय सरकार, विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 176 की उप-धारा (2) के खंड (य) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विद्युत (उपभोक्ता अधिकार) नियम, 2020 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विद्युत (उपभोक्ता अधिकार) संशोधन नियम, 2022 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. विद्युत (उपभोक्ता अधिकार) नियम, 2020 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है) के नियम 2 के, उप-नियम (1) में,-

(क) खंड (च) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-

"(चक) "उपभोक्ता औसत व्यवधान अवधि सूचकांक" से उनके लिए, जिन्होंने राज्य आयोग द्वारा यथा-विनिर्दिष्ट, रिपोर्टिंग अवधि के दौरान अनुभव किया है, धारणीय व्यवधानों के दौरान औसत व्यवधान अवधि अभिप्रेत है;

(चख) "उपभोक्ता औसत व्यवधान आवर्ती सूचकांक" से उनके लिए, जिन्होंने राज्य आयोग दवारा यथा-विनिर्दिष्ट, रिपोर्टिंग अवधि के दौरान अनुभव किया है, धारणीय व्यवधानों के दौरान औसत व्यवधान आवर्ती अभिप्रेत है।"

(ख) खंड (ञ) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

(ञक) "क्षणिक औसत आवर्ती व्यवधान आवर्ती सूचकांक" से राज्य आयोग द्वारा यथा-विनिर्दिष्ट, रिपोर्टिंग अवधि के दौरान घटित प्रति उपभोक्ता क्षणिक व्यवधानों की औसत अवधि अभिप्रेत हैं;

(ग) खंड (ड) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-

(डक) "प्रणाली औसत व्यवधान अवधि सूचकांक" से राज्य आयोग द्वारा यथा-विनिर्दिष्ट, रिपोर्टिंग अवधि के दौरान घटित प्रति उपभोक्ता धारणीय व्यवधानों की औसत अवधि अभिप्रेत है;

(डख) "प्रणाली औसत व्यवधान आवर्ती सूचकांक" से राज्य आयोग द्वारा यथा-विनिर्दिष्ट, रिपोर्टिंग अवधि के दौरान घटित प्रति उपभोक्ता धारणीय व्यवधानों की औसत आवर्ती अभिप्रेत है

3. मूल नियमों के, नियम 10 में,-

(क) उप-नियम (2) के पश्चात्, निम्निलिखित उप नियम अंतःस्थापित किए जाएंग, अर्थात्:-

"(3) विशिष्टितया महानगरों और 1,00,000 और उससे अधिक जनसंख्या वाले शहरों में प्रदूषण स्तर की वृद्धि को ध्यान में रखते हुए, वितरण अनुज्ञप्तिधारी सभी उपभोक्ताओं को 24x7 निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करेंगे, ताकि डीजल जनित्रों को चलाने की आवश्यकता न हो और तदनुसार, राज्य आयोग ऐसे शहरों के लिए प्रणाली औसत व्यवधान आवर्ती सूचकांक और प्रणाली औसत व्यवधान अवधि सूचकांक प्रक्षेप-पथ प्रदान करेगा।

(4) राज्य आयोग, आपूर्ति की विश्वसनीयता के अतिरिक्त उपदर्शकों के रूप में उपभोक्ता औसत व्यवधान अवधि सूचकांक, उपभोक्ता औसत व्यवधान आवर्ती सूचकांक और क्षणिक औसत व्यवधान आवर्ती सूचकांक पर विचार कर सकेगा और अतिरिक्त विश्वसनीयता उपदर्शकों की संगणना के लिए न्यूनतम व्यवधान समय वह होगा जो राज्य आयोग द्वारा यथा-विनिर्दिष्ट किया जाए और उस दशा में जहां राज्य आयोग द्वारा व्यवधान समय विनिर्दिष्ट नहीं किया जाता है, वहां अतिरिक्त विश्वसनीयता उपदर्शकों की संगणना करने के लिए तीन मिनट को व्यवधान समय के रूप में माना जाएगा।

(5) राज्य आयोग, वितरण अनुज्ञप्तिधारकों की विश्वसनीयता सूचकांकों के पुनर्विलोकन और निगरानी के लिए एक ऑनलाइन तंत्र रखेगा और ऐसा आयोग वितरण कंपनियों के लिए एक पृथक विश्वसनीयता प्रभार पर विचार कर सकेगा, यदि वे उपभोक्ताओं की पूर्ति की विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए अवसंरचना में निवेश के लिए निधियों की अपेक्षा करें।

(6) उपभोक्ता, जो विद्युत के अनिवार्य बैक-अप के रूप में डीजल जनित्रों का उपयोग कर रहे हैं, बैटरी भंडारण के साथ नवीकरणीय ऊर्जा के रूप में और इसी प्रकार की स्वच्छ प्रौद्योगिकी को इन नियमों के आरंभ होने की तारीख से पांच वर्षों में या वितरण अनुज्ञप्तिधारी के आपूर्ति क्षेत्र के भीतर समाविष्ट उस शहर में आपूर्ति की विश्वसनीयता पर आधारित ऐसे प्रतिस्थापन के लिए राज्य सरकार द्वारा दी गई समय-सीमा के अनुसार परिवर्तित होने का प्रयास करेंगे।

(7) निर्माण क्रियाकलापों या किसी अन्य अस्थायी उपयोग और इसी प्रकार के लिए उपभोक्ताओं को अस्थायी कनेक्शन देने की प्रक्रिया वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा सरलीकृत की जाएगी और उन्हें अत्यावश्यक आधार पर कनेक्शन दिया जाएगा और जो 48 घंटे से अधिक में नहीं होगा और ऐसे मामले में जहां वितरण प्रणाली का संवर्धन अपेक्षित है, सात दिन के भीतर होगा और इससे वितरण अनुज्ञप्तिधारी के क्षेत्र में अस्थायी क्रियाकलापों के लिए डीजल जनित्रों के किसी भी प्रकार के प्रयोग से बचा जाएगा।

(8) अस्थायी कनेक्शन, समय-समय पर यथा-संशोधित केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (मीटरों का संस्थापन और प्रचालन) विनियमों में यथा-परिभाषित पुनःसंदाय मीटर के माध्यम से या उपभोक्ता मीटरों के माध्यम से दिया जाएगा।"

[फा. सं. 23/05/2020-आरएंडआर]

घनश्याम प्रसाद, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (i), में सा.का.नि.सं. 818(अ), तारीख 31 दिसम्बर, 2020 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और सा.का.नि.सं. 448(अ), तारीख 28 जून, 2021 द्वारा अंतिम संशोधन किया गया था।

MINISTRY OF POWER

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th April, 2022

G.S.R. 306(E).—In exercise of the powers conferred under sub-section (1) read with clause (z) of sub-section (2) of section 176 of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003), the Central Government hereby makes the following rules, further to amend the Electricity (Rights of Consumers) Rules, 2020, namely:-

1. (1) These rules may be called the Electricity (Rights of Consumers) Amendment Rules, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Electricity (Rights of Consumers) Rules, 2020 (hereinafter referred to as the principal rules), in rule2, in sub-rule (1),-

(a) after clause (f), the following clauses shall be inserted, namely:-

(fa)"customer average interruption duration index"means the average interruption duration of the sustained interruptions for thosewhoexperienced interruptions during the reporting period, asspecified by the State Commission";

(fb) "customer average interruption frequency index"means the average interruptionfrequency of the sustained interruptions for those who experienced interruptions during the reporting period, as specified by the State Commission";

(b) after clause (j), the following clause shall be inserted, namely:-

(ja) "momentary average frequency interruption frequency index"means the average number of momentary interruptions per consumer occurring during the reporting period, as specified by the State Commission";

(c) after clause (m), the following clauses shall be inserted, namely:-

(ma) "system average interruption duration index"means the average duration of the sustained interruptions per Consumer occurring during the reporting period, as specified by the State Commission";

(mb) "system average interruption frequency index" means the average frequency of the sustained interruptions per Consumer occurring during the reporting period, asspecified by the State Commission";.

3. In the principal rules, in rule10,-

(a) after sub-rule (2), the following sub-rule shall be inserted, namely:-

"(3) In view of the increasing pollution level particularly in the metros and the cities with a population 100,000 and above, the distribution licensee shall ensure 24x7 uninterrupted power supply to all the consumers, so that there is no requirement of running the diesel generatorsets and accordingly, the State Commission shall give trajectory of system average interruption frequency index and system average interruption duration index for such cities.

(4) The State Commission may consider the customer average interruption duration index, customer average interruption frequency index and momentary average interruption frequency index as additional indicators of reliability of supply and the minimum interruption time for calculation of additional reliability indicators shall be as specified by the State Commissionandin case the interruption time is not specified by the State Commission, three minutes shall be considered as interruption time for calculating the additional reliability indicators.

(5) The State Commission shall have an online mechanism for reviewing and monitoring of reliability indices of distribution licensees andsuch Commissionmayconsider a separate reliability charge for the distribution company, if they require funds for investment in the infrastructure for ensuring the reliability of supply to the consumers.

(6) The consumers, who are using the diesel generator sets as essential back up power, shall endeavor to shift to cleaner technology such as renewable energywith battery storage and the like

in five years from the date of commencement of these rules or as per the timelines given by the State Commission for such replacement based on the reliability of supply in thatcity covered under area of supply of the distribution licensee.

(7) The process of giving temporary connections to the consumers for construction activities or any temporary usage and the like shall be simplified by the distribution licensee and given on an urgent basis and not later than forty eight hoursand within seven days in case augmentation of the distribution system is required and this shall avoid any use of diesel generator sets for temporary activities in the area of the distribution licensee.

(8) The temporary connection shall be through a prepayment meter or through consumer meters as defined in the Central Electricity Authority (Installation and Operation of Meters) Regulations as amended from time to time".

[F. No. 23/05/2020-R&R]

GHANSHYAM PRASAD, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (i) *vide n*umber G.S.R. 818(E), dated the 31st December, 2020 and was last amended *vide n*umber G.S.R. 448 (E), dated 28th June, 2021.

IndiaCode

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2021.04.21 22:57:23 +05'30'